1— <u>प्रमाणीकरण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम में क्षेत्रफल एवं क्षेत्र का निर्धारण :—</u>

1.1 बीज प्रमाणीकरण के लिये प्रस्तावित क्षेत्र की कोई अधिकतम क्षेत्रफल सीमा निर्धारित नहीं है। _

1.2 प्रस्तावित बीजोत्पादन कार्यक्रम सघन बनाने के लिये कार्यक्रम पंजीयन हेतु निम्नानुसार शर्ते रहेंगी। विशेष स्थितियों में इसमें प्रबंध संचालक की अनुमति से परिवर्तन किया जा सकेगा :—

1.2.1 बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा पंजीकृत प्रक्रिया केन्द्रों से 30 किलोमीटर के अंदर बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जावे।

1.2.2 शासकीय प्रक्षेत्र एवं बीज निगम प्रक्षेत्र जहां प्रक्रिया केन्द्र नहीं है, के 15 किलोमीटर के अन्दर कार्यक्रम लिया जावे।

1.2.3 उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी क्षेत्र विशेष में कृषक बीज उत्पादक कार्यक्रम लेने हेतु उत्सुक हो तो 7 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 30 हैक्टेयर क्षेत्र होना आवश्यक है।

1.2.4 संकर कपास के लिये प्रत्येक ग्राम में कम से कम 5 हैक्टेयर क्षेत्र होना आवश्यक है।

1.2.5 सब्जी बीजोत्पादन कार्यक्रम हेतु 5 किलोमीटर की परिधि में 1 हैक्टेयर क्षेत्र होना चाहिये। उपरोक्त सीमा का बंधन लघु फसलों ;डपदवत ब्तवचेद्ध पर लागू नहीं होगा ।उत्पादक संस्थाओं द्वारा ग्रामों/कृषकों का चयन इस प्रकार किया जावेगा जहां निरीक्षण हेतु सुगमता से पहुंचा जा सके। बीज ग्राम योजना की सूची उत्पादक संस्थाओ द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।

1.3 जिस बीज उत्पादक संस्था के माध्यम से उत्पादन कार्यक्रम पंजीकृत किया जावेगा उसका बीज उत्पादन सामान्यतः उसी संस्था के बोरे/थैले तथा ट्रेडमार्क में पैक किया जावेगा। निर्धारित शुल्क सहित किसी बीज उत्पादक संस्था/कृषक द्वारा अन्य बीज उत्पादक संस्था

को विपणनकर्ता निर्धारित करने की अनुमति संबंधित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा दी जावेगी। विपणनकर्ता संस्था के बेग/लेबल में मूल बीज उत्पादक संस्था का नाम बेग/लेबल(दोनों) में स्पष्ट अंकित किया जावे।